हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

संपादक : प्रदिप शेंडे, 9823924676

वर्ष : 46 | अंक : 78 | गोंदिया, शुक्रवार दि. 21 अगस्त 2026 | पृष्ठ : 04 | मूल्य : 1.10 रू | Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

विवाद में फावड़े से किया गया प्रहार

गोंदिया : पुराने विवाद को लेकर ग्राम सिरोली निवासी आरोपी काशिराम रामजी लंजे (58) ने फिर्यादी तेजराम तुलाराम बनकर (58) के साथ गालीगलौज की. तेजराम ने गाली देने का कारण पूछा तो आरोपी ने गुस्से में आकर उसके सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. हमले के दौरान बीच-बचाव करने आई फिर्यादी की बेटी के साथ भी आरोपी ने धक्का-मुक्की की. फिर्यादी की शिकायत पर अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार रोशन बंजार कर रहे.

गोंदिया के चार आदतन अपराधी ३ महीने के लिए जिले से तड़ीपार

त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

संवाददाता । गोंदिया

आगामी त्योहारों के दौरान शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहे तथा नागरिक भयमुक्त वातावरण में त्योहार मना सकें, इस उद्देश्य से गोंदिया शहर पुलिस थाना क्षेत्र के चार आदतन अपराधियों को गोंदिया जिले से 3 महीने के लिए तड़ीपार किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

अमर उर्फ बंडू मनोहर लाचरवार (उम्र 45, निवासी गौतमनगर), वैभव उर्फ बिंदू सुशील लदरे (उम्र 30, निवासी सावराटोली), शुभम पुरुषोत्तम हरदिये (उम्र 28, निवासी बाजपेयी वार्ड) और अभिषेक उर्फ अंडा मनोज पांडे (उम्र 26, निवासी मालवीय वार्ड, श्रीनगर) तड़ीपार किए गए आदतन अपराधियों के नाम हैं।

इन चारों के खिलाफ गोंदिया शहर और रामनगर पुलिस थाने में हत्या का प्रयास, घातक हथियार से चोट पहुंचाना, गाली-गलौज और धमकी देना, अवैध आग्नेयास्त्र रखना, जुआ अधिनियम और मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। इससे पहले उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उनकी आपराधिक गतिविधियां जारी थीं, जिसके कारण इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया था। आखिरकार आगामी त्योहारों की पृष्ठभूमि में पुलिस द्वारा प्रस्तुत तड़ीपारी प्रस्ताव की जांच करने के बाद सक्षम अधिकारियों ने इन चारों अपराधियों को 3 महीने के लिए जिले से बाहर करने के आदेश दिए।

यह कड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे और अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के मार्गदर्शन में उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील दरेकर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुडे, गोंदिया शहर पुलिस निरीक्षक प्रविण बोरकुटे सहित पुलिसकर्मियों प्रकाश गायधने, छगन विट्ठले, रऊफ पठान, निशिकांत लोंदासे, दिनेश बिसेन और अपराध प्रकटीकरण दल ने सफलतापूर्वक पूरी की। पुलिस के इस कड़े कदम से अपराध जगत में हलचल मच गई है।

अतिक्रमण हटाओ अभियान की फजीहत

दो बार नोटिस देने के बावजूद वास्तविक कार्रवाई शून्य, नागरिकों में आक्रोश

संवाददाता । गोंदिया

नगर परिषद चुनाव के बाद शहर को सुव्यवस्थित और अतिक्रमणमुक्त करने का दिया गया बड़ा आश्वासन अब केवल कागजों पर ही रह गया है, ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है। नगराध्यक्ष सचिन शेंडे ने शहर की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए जोरदार अभियान चलाने की घोषणा बड़े धूमधाम से की थी। लेकिन प्रशासन द्वारा दो बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वास्तव में जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

शहर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था और बढ़ते अतिक्रमण पर नियंत्रण पाने का पहला बड़ा प्रयास विफल होने से नागरिकों में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। यह अभियान बार-बार ठंडे बस्ते में क्यों चला जाता है? नगर परिषद प्रशासन पर राजनीतिक या प्रभावशाली तत्वों का कोई आंतरिक दबाव है या नगर परिषद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम तंत्र का ही अभाव है, ऐसा सीधा सवाल अब आम जनता की ओर से उठाया जा रहा है।

अतिक्रमण विरोधी अभियान के पहले प्रयास में विधान परिषद चुनाव के कारण पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध नहीं होने का कारण सामने रखा गया था। इसके बाद दूसरे प्रयास में सड़कों पर मार्किंग (निशान) कर कार्रवाई की योजना बनाई गई थी। लेकिन नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी मार्किंग का काम क्यों शुरू नहीं हो सका, इसका कोई स्पष्टीकरण अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया है।

दो बार अभियान विफल होने के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात जाम और अव्यवस्थित स्थिति 'जैसी थी वैसी' बनी हुई है। अब प्रशासन को कब होश आता है और तीसरा प्रयास कब और किस प्रकार शुरू होता है, इस पर शहरवासियों की नजरें टिकी हैं। नगराध्यक्ष अपने आश्वासन को पूरा कर शहर को अतिक्रमण से मुक्त करेंगे या यह अभियान केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहेगा, यह सवाल अब पूछा जा रहा है।

चुलबंद जलाशय मच्छीमार संस्था को हाईकोर्ट से राहत

गोंदिया : जिले की गोरेगांव तहसील अंतर्गत आनेवाले चुलबंद जलाशय मच्छीमार संस्था का पंजीयन रद्द करने संबंधी बंदरगाह व मत्स्य विभाग के मंत्री नितेश राणे ने 4 अगस्त 2026 को पारित आदेश पर मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी है. न्यायालय के इस फैसले से चुलबंद जलाशय मच्छीमार संस्था को बड़ी न्यायिक राहत मिली है. साथ ही संस्था के सदस्यों के लिए फिलहाल अपना पारंपरिक मछली पकड़ने का व्यवसाय जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है. उल्लेखनीय है कि मंत्री नितेश राणे ने चुलबंद जलाशय मच्छीमार सोसायटी का पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए संस्था के अध्यक्ष रोहित पटले ने संस्था की ओर से अधिवक्ता अदिति योगेश पारधी के - माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की.

निजी स्कूल सेवानिवृत्तों का सम्मान समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न

'महा-उपलब्धि' ऐप और साइबर सुरक्षा के संबंध में अपर कोषागार अधिकारी समीर देशमुख का मार्गदर्शन

संवाददाता । गोंदिया

निजी स्कूल सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी बहुउद्देशीय संस्था का जिला अधिवेशन एवं सम्मान समारोह हाल ही में तिरोड़ा स्थित मधुराज सेलिब्रेशन सभागृह में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के जिलाध्यक्ष अरुण पारधी ने की।

?इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में अपर कोषागार अधिकारी समीर देशमुख, वर्धा सेवानिवृत्त वेलफेयर संगठन के

शेषराव बिजवार, सेवानिवृत्त शिक्षक भजनदास वैद्य गुरुजी, सेवानिवृत्त प्राचार्य संजीव कोलते, परमानंद पारधी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित थे। इस अधिवेशन में जिले के लगभग 300 सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 22 वरिष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गणमान्य व्यक्तियों के हाथों शॉल, श्रीफल और सम्मानचिह्न प्रदान कर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में मार्गदर्शन करते हुए अपर कोषागार अधिकारी समीर देशमुख ने पेंशन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाराष्ट्र सरकार के लेखा एवं कोषागार संचालनालय द्वारा राज्य के पेंशनभोगियों के लिए शुरू किए गए 'महा-उपलब्धि' इस आधिकारिक मोबाइल ऐप की उपयोगिता उन्होंने समझाई। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पारिवारिक पेंशन और पेंशन लाभों के लिए सदैव जागरूक रहने का आह्वान किया। साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों की पृष्ठभूमि में मोबाइल का उपयोग करते समय डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह भी दी।

इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अरुण पारधी के अध्यक्षीय भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने परिश्रम किया।

सरकारी मंजूरी से पहले स्कूल स्थानांतरण पर शिक्षा विभाग की सख्ती

तिरोड़ा : पी.आर. नेशनल कॉन्वेंट, चांदोरी (बघोली), तहसील तिरोड़ा, जिला गोंदिया के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद गोंदिया ने विद्यालय के अध्यक्ष, सचिव एवं मुख्याध्यापक को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शासन से अधिकृत अनुमति मिलने तक विद्यालय को नए स्थान पर संचालित न किया जाए।

शिक्षा विभाग के अनुसार, विद्यालय के स्थानांतरण के संबंध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 839/2026, दिनांक 2 जुलाई 2026 के माध्यम से शिक्षण उपसंचालक, नागपुर को प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन शासन स्तर से अभी तक विद्यालय के स्थानांतरण को अंतिम मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग ने निर्देश दिया है कि शासन की अनुमति मिलने से पहले विद्यालय का स्थानांतरण अथवा नए स्थान पर स्कूल संचालित करने की कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि शासन की अनुमति से पहले नए स्थान पर विद्यालय संचालित किया गया तो संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

'वॉइस ऑफ मीडिया' ने गोंदिया में मजबूत संगठन की रखी नींव

जिला कार्यकारिणी गठित; जल्द ही सभी तहसीलों में होगा संगठन का विस्तार

संवाददाता । तिरोडा

अंतरराष्ट्रीय संगठन 'वॉइस ऑफ मीडिया' की विशेष बैठक गुरुवार, 20 अगस्त को गोंदिया के शासकीय विश्रामगृह में आयोजित की गई। विदर्भ अध्यक्ष व्यंकटेश दुड्डमवार के मार्गदर्शन तथा राज्य कार्यवाहक मुकुंद जोशी, राज्य प्रवक्ता आशिष चेडगे और विदर्भ संघटक विलास ढोरे की प्रमुख उपस्थिति में गोंदिया जिले की सक्रिय एवं मजबूत कार्यकारिणी का गठन किया गया।

हाल ही में परभणी में 'वॉइस ऑफ मीडिया' का महाराष्ट्र पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष संदीप काले, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र मुख्य अध्यक्ष विजय चोरडिया तथा विभागीय प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र देशमुख ने सभी विभागीय अध्यक्षों को अपने-अपने जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति कर कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए थे। संगठन द्वारा पत्रकारों के न्याय, अधिकार और सम्मान के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने की घोषणा भी की गई है।

इसी क्रम में गोंदिया जिले की नई कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें जिला सुप्रीमो अध्यक्ष रामलाल शहारे, जिला अध्यक्ष ग्रामीण हितेंद्र जांभुलकर, जिला अध्यक्ष ग्रामीण दिगंबर नंदेश्वर, महिला अध्यक्ष कविता लिचड़े तथा जिला उपाध्यक्ष के रूप में मोहन तवाड़े (गोंदिया), राधेश्याम नागपुरे (तिरोड़ा), नरेश बोपचे (आमगांव) और सूर्यभान ठलाल (अर्जुनी मोरगांव) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला पदाधिकारियों में अरुण बनोटे–जिला सचिव, आरती पारधी–जिला सहसचिव, गुलशनकुमार बनोटे–कोषाध्यक्ष, ललकार बन्सोड–प्रसिद्धि प्रमुख शामिल हैं। वहीं जितेंद्र बहेकार, दिनेश मानकर, यशवंत शेंडे और राकेश ब्राह्मणकर को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है।

जिला सदस्य के रूप में राजकुमार मच्छीरके, मनोज भालाधरे, मयूर येसनसूरे, अनिल कनोजे, राजू चामट, सुबोध बैस, अजय नंदागवली, एम. आर. श्रीवास्तव, दुर्गेश येल्ले, अरविंद राऊत, मनोज कटरे और यशवंत शिंदे का कार्यकारिणी में समावेश किया गया है।

नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों का विदर्भ एवं राज्य पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। विदर्भ अध्यक्ष व्यंकटेश दुड्डमवार ने बताया कि जल्द ही गोंदिया जिले की सभी तहसीलों में 'वॉइस ऑफ मीडिया' की कार्यकारिणी गठित कर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान और न्याय के लिए प्रभावी ढंग से आवाज उठाना है।

ईद-ए-मिलाद को लेकर तिरोड़ा पुलिस की शांतता समिति की बैठक संपन्न

तिरोड़ा : ईद-ए-मिलाद पर्व के मद्देनजर शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तिरोड़ा पुलिस स्टेशन में शांतता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान शहर में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता तिरोड़ा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अमित वानखेडे ने की। उन्होंने उपस्थित शांति समिति के सदस्यों से ईद-ए-मिलाद के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य सुनील बारापात्रे, शामराव झरारिया, मोहन ज्ञानचंदाने, गौरव झरारिया, सुबोध बैस, सलाम शेख सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में ईद-ए-मिलाद के दौरान निकलने वाले जुलूस, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों से पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। पुलिस एवं शांति समिति के समन्वय से ईद-ए-मिलाद पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया।

ई -पीक निरीक्षण के नाम पर किसानों से वसूली

संवाददाता / सालेकसा

किसानों की फसलों की ई-पिक निरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है. केंद्रीय डीसीएस-एमएच ऐप से 11 अगस्त से ई-पीक पाहणी (निरीक्षण) की प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके लिए प्रत्येक गांव में सहायकों की नियुक्ति की गई है.

शासन की ओर से सहायकों को फसल पाहणी के काम के लिए निर्धारित मानधन दिया जाना है तथा स्पष्ट निर्देश हैं कि किसानों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए. इसके बावजूद कुछ सहायकों द्वारा किसानों से प्रत्येक गट के लिए 50 रु. की मांग किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि शासन के नियमानुसार निर्भड फसल के लिए प्रति प्लॉट 10 तथा मिश्र फसल के लिए भी प्रति प्लॉट 12 रु. का मानधन निर्धारित किया गया है, जो संबंधित सहायकों के बैंक खाते में जमा किया जाना है. इसके बावजूद किसानों से अतिरिक्त राशि वसूलने के आरोपों ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. किसानों का कहना है कि पहले ई-पीक पाहणी वे स्वयं अपने मोबाइल से खेत में जाकर कर लेते थे, जिसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था. अब सहायकों की नियुक्ति के बाद किसानों से कथित तौर पर प्रति गट 50 रु. मांगे जा रहे हैं. यदि किसी किसान के चार गट हैं तो उससे 200 रु. तक अतिरिक्त राशि वसूल किए जाने की शिकायत है. पहले से ही खाद, बीज, कीटनाशक और खेती की अन्य सामग्री की बढ़ती कीमतों से किसान आर्थिक संकट में हैं. ऐसे में ई-पिक पाहणी के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है. सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ सहायकों द्वारा कथित तौर पर किसानों को यह बताया जा रहा है कि राशि में से हिस्सा तहसील तक पहुंचाया जाता है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है. यदि यह आरोप गलत हैं तो संबंधित प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि वसूली वास्तव में हो रही है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

बजरंग दल के ७० कार्यकर्ताओं का जत्था, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना

संवाददाता / गोंदिया

बजरंग दल गोंदिया जिला के 70 कार्यकर्ताओं का जत्था श्रद्धा, भक्ति एवं राष्ट्रभावना के साथ पवित्र बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा के प्रस्थान से पूर्व सभी बजरंग दल कार्यकर्ता गोंदिया स्थित बजरंग दल कार्यालय में एकत्रित हुए। यहां भारत माता एवं भगवान श्रीरामप्रभू का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया तथा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके पश्चात बाजे-गाजे के साथ जय श्रीराम, हर-हर महादेव एवं भारत माता की जय के जयघोष करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को गोंदिया रेलवे स्टेशन तक विदाई दी गई।

बाबा अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था, राष्ट्रभक्ति एवं सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस यात्रा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के पवित्र हिमलिंग के दर्शन एवं पूजन के साथ राष्ट्र की सुख-समृद्धि, समाज की शांति तथा देश की उन्नति के लिए प्रार्थना की जाती है। साथ ही युवाओं को अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना तथा उनमें सेवा, साहस एवं राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अमरनाथ यात्रा के इतिहास में आतंकवाद के कठिन दौर का भी महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। वर्ष 1993 से आतंकवादी संगठनों द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोकने की धमकियां दी गईं। वर्ष 1995 में हरकत-उल-अंसार द्वारा यात्रा को रोकने की धमकी के बावजूद श्रद्धालुओं का आस्था एवं साहस कम नहीं हुआ और यात्रा जारी रही। इसके बाद 1996 में बजरंग दल ने देशभर के युवाओं को अमरनाथ यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए और आतंकवादी धमकियों के सामने धार्मिक आस्था एवं साहस का परिचय दिया।

इसी प्रकार वर्ष 2005 में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, जो आतंकवादी धमकियों के कारण लगभग निष्क्रिय हो गई थी, उसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुनः व्यापक रूप से प्रारंभ करने का संकल्प लिया। हजारों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में सहभागिता कर आतंक प्रभावित क्षेत्र में श्रद्धा, साहस एवं राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया।

इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोंदिया जिला से बजरंग दल के 70 कार्यकर्ता बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह एवं भक्तिभाव का वातावरण रहा। सभी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन, सेवा एवं राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ यात्रा पूर्ण करने का संकल्प लिया।

वृद्ध और निधन हो चुके किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया को गति

प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई के निर्देश

संवाददाता । गोंदिया

राज्य सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026 के अंतर्गत गोंदिया जिले के पात्र लाभार्थी किसानों को कर्जमाफी का लाभ समय पर मिले, इसके लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से वृद्ध किसान, जिनकी उंगलियों के निशान मेल नहीं खाते, साथ ही निधन हो चुके किसानों के वारिसों को लाभ मिलने के लिए स्वतंत्र कार्यपद्धति लागू की गई है।

महाआयटी द्वारा प्रकाशित पहली सूची में राज्यभर के 16.96 लाख पात्र लाभार्थी किसानों को शामिल किया गया है, जिनमें से 13.48 लाख लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। शेष लाभार्थियों का प्रमाणीकरण जारी है। हालांकि, वृद्ध किसानों के उंगलियों के निशान मेल नहीं खाने के कारण कई लोगों को कठिनाइयां आ रही हैं, यह सामने आने पर सरकार ने विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके अनुसार संबंधित किसानों को नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र में आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ जाकर आधार प्रमाणीकरण का प्रयास करना है। कम से कम तीन बार प्रयास करने के बावजूद प्रमाणीकरण नहीं होने पर अनेबल टू ऑथेरेटिक विकल्प का उपयोग करके मामला तालुकास्तरीय समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद तहसील कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 7/12 उतारा आदि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पहचान सुनिश्चित कर प्रमाणीकरण पूरा किया जाएगा। महाआयटी की सूची में कुछ पात्र किसान मृत होने की बात बैंकों के संज्ञान में आई है।

ऐसे मामलों में संबंधित बैंकों द्वारा पहले वारिस दर्ज करना और योजना के पोर्टल पर अपोलड डीसेंट अकाउंट सुविधा के माध्यम से वारिसों की जानकारी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। एक ऋण खाते में अधिकतम छह वारिसों का पंजीकरण किया जा सकेगा और प्रत्येक वारिस का ऋण में हिस्सा पूर्णांक स्वरूप में दर्ज करना होगा। सभी वारिसों के हिस्सों का कुल योग 100 प्रतिशत होना आवश्यक है।

अपलोड की गई जानकारी की महाआयटी द्वारा सरकार के मानदंडों के अनुसार जांच की जाएगी। पात्र वारिसों की नई सूची प्रकाशित कर प्रत्येक वारिस का आधार प्रमाणीकरण और एग्रीस्टैक पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। एक से अधिक वारिस होने पर उनके ऋण में हिस्से के अनुसार कर्जमाफी की राशि संबंधित ऋण खाते में जमा की जाएगी। आयकरदाता या सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत अथवा पेंशनभोगी वारिस योजना के मानदंडों के अनुसार अपात्र ठहराए जा सकते हैं।

लाभ से किसान वंचित न रहें

गोंदिया जिले की सभी संबंधित बैंकों, आपले सरकार सेवा केंद्रों और राजस्व प्रशासन को इन दोनों प्रक्रियाओं का तत्काल क्रियान्वयन कर पात्र वृद्ध एवं निधन हो चुके किसानों के वारिसों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं, इसलिए पात्र किसानों को लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी मंदार पत्की ने किया है।

पोस्टर निर्माण एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

सड़क अर्जुनी : जि. प. हाई स्कूल एवं कनिष्ठ महाविद्यालय में लघु सिंचाई विभाग की ओर से 'जलसंवर्धन सप्ताह' के अंतर्गत पोस्टर निर्माण एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्ष प्राचार्या एन के गजभिये, पं. स. सभापति चेतन वडगाये, अल्लाउद्दीन राजानी शालिंदर कापगते पं. स. सदस्य, अनिल आदमने, रोहित नागलवाडे, प्रीति नागापुरे, डी पी डोंगरवार, पी सी येळेकर, सी एम भिवगडे, व्हीपी आगासे, यशवंत टेम्भूर्ण, शारीरिक शिक्षक फुंडे, व्ही एस चौधरी, आर एच डोंगरे, एम ए सूर्यवंशी, जयश्री चांदेवार उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मां सरस्वती एवं सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पूजन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित लोगों ने मिट्टी एवं जल संरक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका अभिनंदन किया। पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम लिपन्सी रामदास लांजेवार, द्वितीय हर्षवर्धन नंदकिशोर तरोने, तृतीय पारिजात होमेश्वर लंजे रहे, जबकि समूह रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम कक्षा 10, द्वितीय कक्षा 12, तृतीय कक्षा 11वीं के समूह ने पुरस्कार जीते। कार्यक्रम का संचालन एन गिन्हेपुंजे ने किया, जबकि आभार टेकराम बिसेन ने माना।

कांग्रेस ने स्व, राजीवी गांधी की मनायी जयंती

संवाददाता । आमगांव

आमगांव तालुका एवं शहर कांग्रेस के सयुक्त तत्त्वावधान मे विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी के जनक भारत के पुर्व प्रधानमंत्री स्व, राजीव जी गांधीं की जयंती गडचिरोली/ चिमुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉ, नामदेव किरसान के प्रगती नगर स्थित जनसंपर्क कार्यालय मे जिला कांग्रेस के महासचिव - रामसिंह चौहान की अध्यक्षता मे एवं जिला कांग्रेस के सचिव - इसुलाल भालेकर, तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष संजय बहेकार, प्रदेश प्रतिनिधी - संपतलाल सोनी के प्रमुख अतिथ्य मे मनायी गयी.

जयंती कार्यक्रम में पधारे सभी कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम राजीवजी गाँधी के तैल्यचित्र को माल्यार्पण कर अभिवादन किया.

इस अवसर पर - शहर कांग्रेस अध्यक्ष - देवकांत बहेकार, जिला कांग्रेस परिवहन विभाग के अध्यक्ष - बाबा मिश्रा, पर्यावरण विभाग के जिला उपाध्यक्ष - अभय ढेंगे, जिला महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष - सौ, प्रभादेवी उपराड़े, सौ, त्रिवेणी टेंभरे, तालुका कांग्रेस अनुसूचित जाती के अध्यक्ष - पिंकेश शेंडे ,तालुका अल्पसंख्याक विभाग के अध्यक्ष - मुकिम शेख, तालुका आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष - उमाकांत उईके, राजसिंह परिहार रवी रहांगडाले, बंडु महारवाडे, राधाकिशन चुटे, योगेश कोरे, रंजित पटले, कुणाल शेंडे, राहुल चुटे, किशोर बिसेन, विरेंद्र डोंगरे, आदि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

दो नन्हे-मुन्नों को मिला अपने अधिकार वाले परिवार का सहारा

जिलाधिकारी के आदेश से गोंदिया जिले में पहला दत्तक निर्णय; दो बच्चों की दत्तक प्रक्रिया पूरी

संवाददाता । गोंदिया

माता-पिता का प्यार, परिवार का सहारा और ममता की गर्माहट हर बच्चे के स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चों को इस सुख से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे बच्चों को सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और स्थायी परिवार दिलाने के लिए गोंदिया जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आसरा शिशुगृह के दो बच्चों की दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनका अधिकार वाला परिवार दिलाया गया है। जिला प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी मंदार पत्की के आदेश पर गोंदिया जिले में

यह पहला दत्तक निर्णय संपन्न हुआ।

गोंदिया जिले में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया न्यायालय से जिलाधिकारी को हस्तांतरित होने के बाद जिलाधिकारी मंदार पत्की ने पहला दत्तक आदेश जारी किया। इसके बाद दोनों बच्चों को उनके पात्र दत्तक माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक प्रक्रिया को अधिक गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों को तत्काल लागू करते हुए गोंदिया जिला प्रशासन ने दत्तक प्रक्रिया में तेजी लाई। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन से इन दो नन्हे-मुन्नों के जीवन में अब केवल घर ही नहीं, बल्कि प्यार, ममता, सुरक्षा और परिवार का सहारा भी मिला है।

यह पूरी प्रक्रिया जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे, संरक्षण अधिकारी संस्थागत मुकेश पटले, आचल फुलेकर, विशेष दत्तक संस्था की अधीक्षिका तथा डॉ. सचिन उईके और केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA) एवं राज्य दत्तक संसाधन प्राधिकरण के समन्वय से ऑनलाइन पद्धति द्वारा पारदर्शी और नियमानुसार पूरी की गई।

इससे पहले बच्चे को गोद देने के संबंध में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता था। दत्तक प्रक्रिया में अधिक तेजी आए और बच्चों का पुनर्वास शीघ्र हो, इसके लिए केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से जिलाधिकारियों के जरिए दत्तक ग्रहण का निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दत्तक प्रक्रिया को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में न देखते हुए अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त और समर्पित बच्चों के पुनर्वास के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखना आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और स्थायी परिवार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, यह इस अवसर पर स्पष्ट किया गया।

गोंदिया के जलवैभव की समृद्ध विरासत

महाराष्ट्र के पूर्वी दिशा में स्थित, झाड़ीपट्टी के नाम से जाना जाने वाला गोंदिया जिला मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा होने के कारण यहाँ के नागरिकों की बोलीभाषा में हिंदी का प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि, इस जिले की वास्तविक पहचान यहाँ की पहाड़ियाँ-घाटियाँ, वनाच्छादित क्षेत्र और प्राकृतिक झीलों के कारण अधिक उभरकर सामने आती है। आदिवासीबहुल जिला होने के कारण प्राचीन काल से ही यहाँ प्रकृति और पर्यावरण के केवल संरक्षण ही नहीं, बल्कि पूजा करने की परंपरा और संस्कृति भी संरक्षित रही है। बड़ी संख्या में मौजूद मालगुजारी तालाबों के कारण गोंदिया जिले को 'तालाबों का जिला' ऐसी भी पहचान प्राप्त हुई है।

'मालगुजारी' शब्द अंग्रेजों के समय प्रचलित हुआ। राजस्व (मालगुजारी) वसूल करने का अधिकार जिन व्यक्तियों को दिया गया था, उन्हें मालगुजार कहा जाता था। मालगुजार किसानों से राजस्व वसूल कर उसमें से निश्चित राशि सरकार के पास जमा करते थे। तालाबों का रखरखाव, मरम्मत, गाद निकालना तथा पानी का वितरण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। इसलिए उस समय इन तालाबों को मालगुजारी तालाब नाम प्राप्त हुआ। वर्तमान में इन तालाबों का प्रबंधन शासन के पास है।

आज गोंदिया जिले में 1,659 मालगुजारी तालाब हैं। इन तालाबों का इतिहास लगभग 300 से 350 वर्ष पुराना है। गोंड राजा हिरशाह ने दूरदृष्टि रखते हुए उस समय के वर्षामान और भविष्य की पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। उसके अनुसार, जो कोई जंगल साफ करके खेती करेगा, उसे वह जमीन प्रदान की जाएगी और जो कोई तालाब बनाएगा, उसे उस तालाब के नीचे की जमीन पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। इस नीति के कारण तत्कालीन प्रजा ने जनसहभागिता के माध्यम से जल प्रबंधन की प्रभावी और टिकाऊ पद्धति विकसित की।

तालाब बनाते समय पानी का भंडारण उचित तरीके से हो, इसके लिए प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करके स्थान का चयन किया गया। तालाबों के निचले हिस्से में कुएँ बनाए गए। गाँव के चारों दिशाओं में तालाबों की श्रृंखला बनाई गई। तालाब का अतिरिक्त पानी सांडवे के माध्यम से गाँव के निचले हिस्से से बहकर चला जाए, ऐसी व्यवस्था की गई। इससे बाढ़ का खतरा गाँव तक नहीं पहुँचता। एक तालाब का अतिरिक्त पानी दूसरे तालाब में और उसके बाद तीसरे तालाब में जाए, ऐसी श्रृंखला बनाकर पानी की बर्बादी को रोका गया। उस समय विकसित की गई जल प्रबंधन की यह तकनीक आज भी आश्चर्यचकित करने वाली है। इसी परंपरा के परिणामस्वरूप, अल नीनो जैसी प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों में भी इस क्षेत्र में धान की फसल के लिए आवश्यक मात्रा में पानी का भंडार उपलब्ध रहता है।

पानी का भंडारण करने की यह पारंपरिक पद्धति आज भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है और आधुनिक जल संरक्षण योजनाओं के कारण इसे और अधिक मजबूती मिली है। जिले में लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 248 तालाब, 26 रिसाव तालाब और 229 गाँव तालाब हैं। मालगुजारी तालाबों सहित जिले में कुल 2,152 तालाब जलसंपदा का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन तालाबों के कारण 868.78 मिलियन घनमीटर जलसंचय निर्मित हो रहा है, जिससे 1,01,007 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता उपलब्ध हुई है।

वर्ष 2023 से जलयुक्त शिवार अभियान (चरण-2) जिले में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत 2,047 कार्य पूरे हो चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (चरण-2) के अंतर्गत आमगाँव, सालेकसा और देवरी तालुकों के पाँच क्लस्टरों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के 894 कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है, जिनमें से 879 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष 15 कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे।

'गादमुक्त बांध - गादयुक्त शिवार' यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2024-25 में जिले के 225 तालाबों से गाद निकालने को प्रशासनिक मंजूरी मिली है, जिनमें से 103 तालाबों से 4,32,950 घनमीटर गाद निकाली गई है। इससे 4.3295 मिलियन घनमीटर अतिरिक्त जलसंचय पुनर्स्थापित हुआ है। यह बात जिले के किसानों और नागरिकों के लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित हुई है। भविष्य में किसी भी जल संकट का सामना करने के लिए जिला सक्षम हो रहा है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकरराव नाईक ने राज्य के जल संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 'पानी रोको, पानी रिसाओ' की संकल्पना के माध्यम से उन्होंने जलग्रहण विकास, भूजल पुनर्भरण और लघु जल संरक्षण की अनेक योजनाओं को गति दी। उनके इस कार्य के सम्मान में 21 अगस्त को राज्य सरकार ने 'जल संरक्षण दिवस' के रूप में घोषित किया है।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार 15 अगस्त से 21 अगस्त तक की अवधि 'जल संरक्षण सप्ताह' के रूप में मनाई जा रही है और जिले में विभिन्न जनजागरूकता संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस सप्ताह के अवसर पर मृदा एवं जल संरक्षण रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 15 वर्ष से अधिक आयु के युवक-युवतियाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेकर जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता पैदा करने वाली रील्स तैयार keâjhttps://register.mahaevent.co.in/#/register इस वेबसाइट पर अपलोड करें, ऐसा आह्वान किया जा रहा है।

21 अगस्त को सुबह 6.30 बजे 'महा वॉकेथॉन - वॉक फॉर वॉटर' का आयोजन जयस्तंभ चौक से फूलचूर तालाब तक के मार्ग पर किया गया है। अपने जिले को प्राप्त जलसमृद्धि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और जल संरक्षण का संदेश समाज तक पहुँचाने के लिए सभी नागरिक इस वॉकेथॉन में सहभागी हों।

आइए, हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित जल संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाएँ और 'जलसमृद्ध गोंदिया - समृद्ध भविष्य' की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें।

-मंदार पत्की,
जिलाधिकारी, गोंदिया

अनुसूचित जाति व नवबौद्ध बचत समूहों के लिए 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर; 4 सितंबर तक आवेदन करने का आह्वान

संवाददाता / गोंदिया

अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटकों के स्वयं सहायता बचत समूहों को खेती के साथ-साथ पूरक व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से मिनी ट्रैक्टर व उसके उपसाधन आपूर्ति योजना वर्ष 2026-27 के लिए शुरू की गई है। इच्छुक पात्र बचत समूहों से 4 सितंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

6 दिसंबर 2012 के शासन निर्णय के अनुसार संचालित की जाने वाली इस योजना में 15 अश्वशक्ति के युवराज 215 मिनी ट्रैक्टर, 1.5 टन क्षमता का नॉन-टिपिंग ट्रेलर और 0.8 मीटर रोटावेटर के लिए अधिकतम 3.50 लाख रुपये का खर्च स्वीकार्य माना जाएगा। इसमें से 90 प्रतिशत अर्थात 3.15 लाख रुपये शासकीय अनुदान, जबकि शेष 10 प्रतिशत अर्थात 35 हजार रुपये बचत समूह का हिस्सा रहेगा।

योजना के लिए आर्थिक विकास महामंडल, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा या कृषि विभाग के पास पंजीकृत और नियमित आर्थिक लेन-देन करने वाले स्वयं सहायता बचत समूह पात्र होंगे। समूह के सदस्यों ने इससे पहले पावर टिलर योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है।

लाभार्थी बचत समूहों को आवश्यकता होने पर 9 से 18 अश्वशक्ति से अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर खरीदने की अनुमति होगी। हालांकि शासन की ओर से अधिकतम 3.15 लाख रुपये तक ही अनुदान मिलेगा और अतिरिक्त खर्च संबंधित बचत समूह को स्वयं करना होगा।

योजना के अंतर्गत चयन होने के बाद मान्यता प्राप्त निर्माता से ट्रैक्टर व उपसाधन खरीदने होंगे। खरीद की रसीद प्रस्तुत करने और आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने के बाद चरणबद्ध तरीके से अनुदान लाभार्थी बचत समूह के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ट्रैक्टर का बीमा, स्थायी पंजीकरण (Permanent Passing) और ट्रेलर का पंजीकरण लाभार्थी समूह को अपने खर्च से करना आवश्यक होगा।

शासन ने स्पष्ट किया है कि, अनुदान से प्राप्त ट्रैक्टर को बेचना या गिरवी रखना गैरकानूनी माना जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित बचत समूह के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई कर शासन द्वारा दिया गया संपूर्ण अनुदान वसूल किया जाएगा। साथ ही संबंधित समूह को कम से कम पांच वर्षों के लिए शासन की अन्य योजनाओं हेतु अपात्र ठहराया जाएगा।

इससे पहले आवेदन करने के बावजूद लाभ नहीं मिलने वाले बचत समूहों को नए सिरे से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा।

इच्छुक अनुसूचित जाति व नवबौद्ध स्वयं सहायता बचत समूह जाति प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार या अन्य पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा बिजली बिल सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे, पतंगा मैदान, गोंदिया में दि.4 सितंबर 2026 तक आवेदन प्रस्तुत करें, ऐसा आह्वान समाज कल्याण सहायक आयुक्त किशोर भोयर ने किया है।

भक्तों के लिए शेड का निर्माण पूरा

सांसद पटेल के प्रयासों से 30 लाख की निधि मंजूर

गोंदिया : नागराधाम में प्राचीन काल से भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध व जागृत शिव मंदिर स्थित है. इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के विकास के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल पटेल लगातार प्रयासरत हैं. इसी विकास श्रृंखला के तहत क्षेत्रीय पर्यटन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 30 लाख रु. की निधि से नागरा पर्यटन स्थल पर भगवान भोलेनाथ मंदिर के सामने श्रद्धालुओं के लिए शेड का निर्माण पूरा किया गया है. इस शेड के निर्माण से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से राहत मिलेगी तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. नागराधाम धार्मिक के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद पटेल के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों को गति दी जा रही है. श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही नागराधाम को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में यह कार्य महत्वपूर्ण साबित होगा.

प्रारुप नमुना

वृत्तपत्रात प्रसिध्द करावयाच्या छोटया जाहिरातीचे प्रारुप

जिल्हा परिषद, गोंदिया
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
जाहिरात (पहिली वेळ) सन 2026-27

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, गोंदिया कार्यालया तर्फे जिल्हयातील विश्रामगृह नवेगाव बांध, सालेकसा व मा. अध्यक्ष जि. प. गोंदिया यांचे निवास स्थान करिता तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवास स्थानकरिता, एकुण 04 खानसामा (स्वयंपाकी) ची अनुभवी बाहय यंत्रणेच्या माध्यमाने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यासाठी निविदा मागविण्यांत येत आहे.

मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थानी सदर जाहिरात प्रकाशीत झाल्यापासुन दिनांक 21/8/2026 ते 28/8/2026 पर्यंत दुपारी 3.00 वाजे पर्यंत बांधकाम विभागास मोहरबंद पाकीटात सादर करावी लागेल.

मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना त्यांनी दिलेली दरपत्रके, कारण न देता नाकारणे अथवा स्विकारणेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. तसेच मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासंबधी अटी व शर्ती कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी किमान कामाचा हक्क प्रस्थापित करता येणार नाही.

(प्रकाश, ताकसांडे)
कार्यकारी अभियंता
सा.बां. विभाग, जि.प. गोंदिया

(स्वा/-)
मुख्य लेखा वित्त अधिकारी
जिल्हा परिषद, गोंदिया

(डॉ. तानाजी लोखंडे)
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद, गोंदिया

(जेनित चंद्रा दोन्तुला भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद, गोंदिया

क्र.संमावज /नाग/370/2026

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *